(10) ①

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश

सतपुडा भवन छठवीं मंजिल,मध्य प्रदेश भोपाल

दूरभाष कमांक–0755–2551719,2550186 फैक्स–0755 2551719,255018

कमांक 2118 / प्रवेश / यूजी / संचिशि / 2015 भोपाल,दिनांक 20 / 08 / 2015

विज्ञप्ति

शासकीय स्वशासी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु यू.जी. काउंसलिंग -- 2015 का प्रस्तावित कार्यकम

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा AIPMT-2015 (आल अंडिया प्रीमेडिकल टेस्ट.2015 नई दिल्ली क) परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर यू0जी0 (एमबीबीएस / बीडीएस) 2015 की प्रथम चरण की काउंसलिंग की कार्यवाही याचिका कमांक 4060 / 2009 आई.ए.कमांक 77–78 एवं 79 / 2015 में पारित निर्णय दिनांक 12 / 02 / 2015 के अनुसार निम्नानुसार की जावेगी ।

काउंसलिंग के प्रथम चरण के प्रस्तावित कार्यकम की जानकारी निम्नानुसार रहेगी :–

स. क0	विवरण	अभ्यर्थी जिन्हें सम्मिलित होना है ।	तिथि एवं समय	दिवस
1	एमपी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग तथा च्वाईस लॉकिंग (पात्र अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं करना अनिवार्य है)	एआईपीएमटी 2015 के घोषित परिणाम के आधार पर समस्त पात्र उम्मीदवार ।	दिनांक 24.08.2015 को प्रातः 10.30 से दिनांक 26.08.2015 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक	03 दिवस
2.	एमपीऑनलाईन द्वारा सीट आवंटन की प्रकिया	एआईपीएमटी 2015 के घोषित परिणाम के आधार पर समस्त पात्र उम्मीदवारों में से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनके द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग की गई है ।	दिनांक 27.08.2015 से दिनांक 28.08.2015	02 दिवस
3.	एमपीऑनलाईन द्वारा सीट आवंटन का परिणाम	एआईपीएमटी 2015 के घोषित परिणाम के आधार पर समस्त पात्र उम्मीदवारों में से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनके द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग की गई है ।	दिनांक 29.08.2015 दोपहर 12.00 बजे ।	

4.	एमपीऑनलाईन द्वारा सीट आवंटित अभ्यर्थियों की गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल (म.प्र.) में मूल अभिलेखों की स्कूटनी तथा संबंधित शासकीय / निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में केन्द्रीकृत प्रवेश की प्रकिया	एमपीऑनलाईन द्वारा सीट आवंटित समस्त अभ्यर्थी ।	दिनांक 30.08.2015 से दिनाक 02.09.2015 प्रतिदिन प्रातः 10.30 से सांय 5.30 तक	04 दिवस

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अभ्यर्थी को निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिये
2. केन्द्रीकृत प्रेवश प्रक्रिया गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,भोपाल मध्यप्रदेश में संपन्न होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है। कि वे प्रवेश के लिये अपने समस्त मूल दस्तावेज एवं प्रवेश हेतु संस्था को निर्धारित शुल्क के साथ स्वंय आवश्यक रूप से काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
3. काउंसलिंग के दौरान किसी भी दिन ज्यादा अभ्यर्थी होने पर निर्धारित तिथि के बचे हुए अभ्यर्थियों की स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रकिया अगले दिन की जावेगी । इसलिये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि के अगले दिन भी रुकने की तैयारी से आये ।
4. अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग स्थल पर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है

<u>मूल दस्तावेजों की सूची</u> :–

1. टेस्ट एडमिशन कार्ड ए.आई.पी.एम.टी.– 2015
2. ए.आई.पी.एम.टी मार्कशीट –2015 (ऑल इंडिया एवं एम.पी.स्टेट)
3. 10+2 मार्कशीट –2015.
4. 10 वी. मार्कशीट / सर्टिफिकेट जिसमें जन्मतिथि अंकित हो ।
5. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण–पत्र
6. आरक्षित प्रवर्ग (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सेनिक, विंकलांग) हेतु मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण–पत्र ।
7. चरित्र प्रमाण–पत्र
8. 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने उपरांत अंतराल होने की स्थिति में नोटरी द्वारा जारी गैप शपथ–पत्र ।
9. मध्यप्रदेश का मूल निवासी / स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ।

10 निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार द्वारा जारी वर्तमान 2014–2015 का आय प्रमाण–पत्र जिनके लिये आवश्यक हो/अथवा स्वप्रमाणित आय संबंधी घोषणा–पत्र

11 संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण–पत्र, यदि लागू हो तो।

5- <u>प्रतिभूति निक्षेप</u> :–

चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसलिग के दौरान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रूपये 10,000/– का डिमांड ड्राफट , अन्य पिछडा वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रूपये 2,000/– का डिमांड ड्राफट, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपयें 3,00000/– से ज्यादा है। उन्हे प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रूपये 2,000/– का डिमांड ड्राफट, जमा करना होगा
यह डिमांड ड्राफट डॉयरेक्टर मेडिकल ऐजूकेशन भोपाल के नाम देय होगा।
एडमिशन के समय संस्थानों की निर्धारित फीस चैक अथवा नगद के रूप में जमा करायी जा सकती है।

कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेवसाईट पर www.medicaleducation.mp.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी ।

20.8.15

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश